न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—198 / 2014 / 225(2014 / 00044)

1. श्रीमती पांची देवी पत्नि रतनलाल, जाति गुर्जर,
2. शोभागमल पुत्र रतनलाल, जाति गुर्जर,
3. टीकमचंद पुत्र रतनलाल, जाति गुर्जर,
4. सीमा पुत्री रतनलाल, जाति गुर्जर,
5. सुशीला पुत्री रतनलाल, जाति गुर्जर,

समस्त निवासीगण गुजरवाड़ा केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये मुख्य सचिव, जयपुर ।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत नागौर, मुख्यालय अजमेर ।
3. जिला कलक्टर, अजमेर ।
4. तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. पटवारी हल्का केकड़ी ।
6. अंकित पुत्र महेन्द्र कुमार , जाति मित्तल महाजन, निवासी केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी , दिनांक 25.3.2014 .

उपस्थितः—

1. श्री माधवसिंह, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः—22.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 25.3. 2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा केकड़ी, जिला अजमेर के खसरा नंबर 5004 / 8646 रकबा 0.50 है0 किस्म बारानी भूमि अवस्थित है। उक्त खसरा नंबर जमाबंदी सन् 1349 फसली में खसरा नंबर 683 नंबर होकर सरकारी भूमि दर्ज है और इस भूमि में से केकड़ी से एकलसिंहा देव गांव जाने वाला आमा रास्ता है, मौके पर डामर रोड़ 15 वर्षो से बना हुआ है व ग्रामवासियों व वादीगण के खतों में आने—जाने वालों का रास्ता पीढ़ियों से है, किन्तु हाल जमाबंदी में बिना किसी आधार के मौके के विपरीत अंकन प्रतिवादी संख्या 6 के नाम कर दिया गया है जबकि उनका कोई कब्जा काश्त उक्त भूमि पर नहीं है । रेस्पो0 संख्या

6 का नाम रिकार्ड से हटाया जाकर इस भूमि के बाबत् जो मुआवजा राशि रेस्पो0 संख्या 6 को दी जा रही है उसे रोका जावे व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे साथ ही रेस्पो0 संख्या 6 को मुआवजा प्राप्त न करने व प्रार्थीगण को रास्ते के आवागमन में कोई बाधा न पहुंचाने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 25.3.2014 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि हाल खसरा नंबर 5004/8646 रकबा 0.50 है0 पूर्व खसरा नंबर 683 का भाग है जो वर्षो से सरकारी भूमि दर्ज रही है व इस भूमि पर केकड़ी से एकलसिंहा देव गांव जाने वाला रास्ता स्थित है, जो वर्तमान में चालू होकर ग्रामवासियों के आने–जाने के काम में आ रहा है । रेस्पो0 संख्या 6 ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है वे सेटलमेंट विभाग ने रास्ते की भूमि पर गलत तौर पर खसरा संख्या 5004/8646 पैमूद कर दिया है, इस गलत इंद्राज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 6 उक्त भूमि पर मुआवजा प्राप्त करने हेतु आमादा है जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी तौर पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पर निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तहसीलदार के जवाब को बिना पढ़े यह लिखा है कि भूमिधारी ने कही पर भी भूमि को सिवायचक करने बाबत् कोई कथन नहीं किया है जबकि जवाब प्रार्थना पत्र में तहसीलदार ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आराजी मुतनाजा सरकारी भूमि है जो गलत तौर पर जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 6 के नाम दर्ज कर दी गई है । अधी0न्याया0 ने धारा 212 राज0काश्त0अधि0 की मंशा को समझे बिना ही अधिग्रहण की कार्यवाही रूक जाना मानते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भूल की है जबकि प्रार्थीगण ने केवल मुआवजा राशि विपक्षी को अदा न करने बाबत् व्र प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग व उपभोग में व्यवधान नही डालने बाबत् ही अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 25.3.2014 को खारिज किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 6 की खातेदारी में चली आ रही है । उक्त आराजी रेस्पो0 संख्या 6 ने श्रीमती रतनी देवी व श्रीमती संतोष देवी से दिनांक 19.2.2007 को क्रय की है जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 6 के नाम इंद्राज हो रखा है जो सही है। उक्त आराजी में 100 वर्षो से आम रास्ता स्थित होने बाबत् किया गया कथन गलत है । विवादित आराजी में से कुछ भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गई है न कि संपूर्ण भूमि । आराजी खसरा रनंबर 5004/8646 रेस्पो0 संख्या 6 की खातेदारी भूमि है जिसे

सरकारी भूमि घोषित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो सही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 683/23/1 को रेस्पो0 संख्या 6 ने जरिये रजिस्टर्ड पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की थी जिसके आधार पर रेस्पो0 संख्या 6 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 5 ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी में कुछ भाग पर केकड़ी–एकलसिंहा पक्की सड़क बनी हुई होने एवं इसी खसरा नंबर में से भीलवाड़ा वाया केकड़ी/जयपुर बाईपास रोड़ प्रस्तावित होना जाहिर किया है। तहसीलदार ने विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई तथ्य अंकित नहीं किया है । वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 6 विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार की भूमि अवाप्त किये जाने पर मुआवजा प्राप्त करने का भी अधिकारी है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में नहीं पाये जाने से ही अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का आदेश दिनांक 25.3.2014 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर